आवश्यक/महत्वपूर्ण

संख्या- 1/1173/90-सं-1-2014-70सं/1984

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
2- पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश ।
3- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
4- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
5- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश ।

संसदीय कार्य अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 25 अगस्त, 2014

विषयः मा0 मंत्रियों एवं जनप्रतिनिधियों के प्रति शिष्टाचार/प्रोटोकाल एवं सौजन्य प्रदर्शन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

मा0 मंत्रियों एवं जनप्रतिनिधियों के प्रति शिष्टाचार/प्रोटोकाल एवं सौजन्य प्रदर्शन के सम्बन्ध में

1-संख्या-2586/79-सं-1-2007-66सं/1988, दिनांक 14 नवम्बर, 2007
2-संख्या-275/79-सं-1-2008-10सं/2008, दिनांक 06 फरवरी, 2008
3-संख्या-1483/79-सं-1-2008-66सं/1988, दिनांक 30 मई, 2008
4-संख्या-2383/79-सं-1-2008-109सं/2008, दिनांक 21 अक्टूबर, 2008
5- संख्या-585/79-सं-1-2009-24सं/2009, दिनांक 31 मार्च, 2009
6-संख्या-762/79-सं-1-2009-66सं/1988, दिनांक 28 मई, 2009
7- संख्या-643/79-सं-1-2009-28सं/2009, दिनांक 18 जून, 2009
8- संख्या-545/90-सं-1-2011-38सं/2011, दिनांक 11 मई, 2011
9- संख्या-602/90-सं-1-2011-43सं/2011, दिनांक 25 मई, 2011
10-संख्या-1147/90-सं-1-2012-66सं/1988, दिनांक 12 अक्टूबर, 2012
11-संख्या-608/90-सं-1-2013-66सं/1988, दिनांक 10 मई, 2013
12-संख्या-1223/90-सं-1-2013-14सं/2013, दिनांक 25 सितम्बर, 2013
13-संख्या-1541/90-सं-1-2013-66सं/2013, दिनांक 31 दिसम्बर, 2013

जारी किये गये पार्श्वांकित शासनादेशों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत विषय में समय-समय पर दिशा निर्देश जारी होने के बावजूद भी शासन के संज्ञान में यह आया है कि मा0 मंत्रियों एवं जनप्रतिनिधियों के प्रति सामान्य शिष्टाचार/ प्रोटोकाल का पालन समुचित रूप से नहीं किया जा रहा है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- शासन के संज्ञान में यह भी आया है कि मा0 मंत्रियों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा शासन व प्रशासन में तैनात उच्च अधिकारियों को विकास सम्बन्धी या विभागीय समस्या को लेकर टेलीफोन करने पर अधिकारी के मीटिंग में व्यस्त होने की बात कही जाती है, तदोपरान्त अधिकारी द्वारा रिंग बैक करके वार्ता भी नहीं की जाती है । अधिकारियों के मोबाइल पर फोन करने पर न तो अधिकारियों के मोबाइल उठते है, और न ही मोबाइल में नम्बर देख कर उनके द्वारा वार्ता की जाती है । इससे उन्हें जनता के कार्य सम्पादित कराने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है । उक्त स्थिति उचित नहीं है । इससे शासन के समक्ष असहज स्थिति उत्पन्न होती है ।

3- इस सम्बन्ध में मुझे आपसे पुनः अनुरोध करना है कि मा0 मंत्रियों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा जब किसी अधिकारी को फोन किया जाय, तो उनके प्रति समुचित शिष्टाचार प्रोटोकाल प्रदर्शित करते हुए उनसे तुरन्त वार्ता की जाय । यदि उस समय बैठक कर रहे हो, या कार्यालय में उपस्थित न हो, तो उन्हें बैठक समाप्त होने के पश्चात् या वापस लौटने पर यथाशीघ्र टेलीफोन (रिंग बैक) अवश्य किया जाय ।

4- आपसे यह भी अनुरोध है कि कृपया उक्त आदेशों का पूर्ण रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों तथा कार्यालयाध्यक्षों/विभागाध्यक्षों व निगमों/उपक्रमों को तदनुसार कार्यवाही करने हेतु अविलम्ब आवश्यक निर्देश जारी करते हुए इन आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

भवदीय

आलोक रंजन
मुख्य सचिव।

संख्या- 1/1173 (1)/90-सं-1-2014 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी,
2- प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ,
3- प्रमुख सचिव, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश,
4- प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तर प्रदेश,

आज्ञा से,

एस0 बी0 सिंह
प्रमुख सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in